मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha36 5@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2024-26 /R.N.I. No. 2022007062

सड़कों की हालत खस्ता, ऑनलाइन चालान के जरिए हो रही लूट 3
गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में राजपूतों का 9 को करनाल में प्रदर्शन 4
तीन राज्यों में कांग्रेस की हार में ही शामिल है 2024 के जीत की राह 5
यूजीसी और एनसीईआरटी का हिन्दू राष्ट्र शैक्षणिक कार्यक्रम 6
नगर निगम को लूट रहा 'गूजर का बेटा' 8

वर्ष 38 | अंक -04 | फरीदाबाद 10-16 दिसम्बर 2023 | फोन-8851091460 | ₹5.00

भू-माफिया की बलि चढ़ेगा 300 एकड़ अरावली वन क्षेत्र

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)। पयार्वरण संरक्षण का ढिंढोरा पीटने वाली मोदी-खट्टर सरकारें अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली एनसीआर का फेफड़ा कहे जाने वाले अरावली संरक्षित वन क्षेत्र से करीब छह सौ एकड़ रकबा बाहर निकालने में लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित सेक्टर 21 सी, 44, 45 और 47 की करीब छह सौ एकड़ बेशकीमती जमीन पीएलपीए से निकालने के लिए खट्टर और मोदी सरकारों ने वन विभाग को आदेश दिए हैं। चहेतों को लाभ पहुंचाने में फांस यह है कि सरकार के पास बदले में वन विभाग को देने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है। इसलिए फिलहाल सेक्टर 21 सी पार्ट थर्ड की 145 एकड़ बेशकीमती संरक्षित वन भूमि को पीएलपीए से बाहर निकालने की तैयारी चल रही है।

हूडा ने करीब तीन दशक पहले अरावली पहाड़ियों के बीच सेक्टर 21, 44, 45, 47 स्कीम शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़े इलाके को पीएलपीए संरक्षित घोषित कर प्रोजेक्ट रोकने का आदेश जारी किया था। इन सेक्टरों में जिन लोगों को प्लॉट अलॉट किए गए थे उन सबको हूडा ने वैकल्पिक जगहों पर प्लॉट दे दिए थे। तब से इन सेक्टरों में हूडा की जमीन पीएलपीए संरक्षित वन के रूप में सुरक्षित थी।

हूडा की इस खाली पड़ी बेशकीमती जमीन पर भूमाफिया और प्रॉपर्टी डीलरों की नजर काफी पहले से है। इस जमीन को सरकार ही वन क्षेत्र से बाहर निकलवा सकती है यह बात जानने वाले भूमाफिया राजनेता से प्रॉपर्टी डीलर बने किशनपाल गूजर और खट्टर के कलेक्शन एजेंट अजय गौड़ की परिक्रमा करने में जुटे थे।

भाजपा के भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार खट्टर के कलेक्शन एजेंट ने इस जमीन को मुक्त कराने के लिए करीब आठ महीने पहले ठेका लिया था। इसके तुरंत बाद ही खट्टर सरकार ने फरीदाबाद, गुड़गांव में अरावली संरक्षित क्षेत्र का कुछ हिस्सा पीएलपीए मुक्त कराने संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया था। सरकार ने हूडा सहित संबंधित विभागों से इस संबंध में रिपोर्ट भी तलब की थी।

सत्ता-भूमाफिया गठजोड़ के असर में

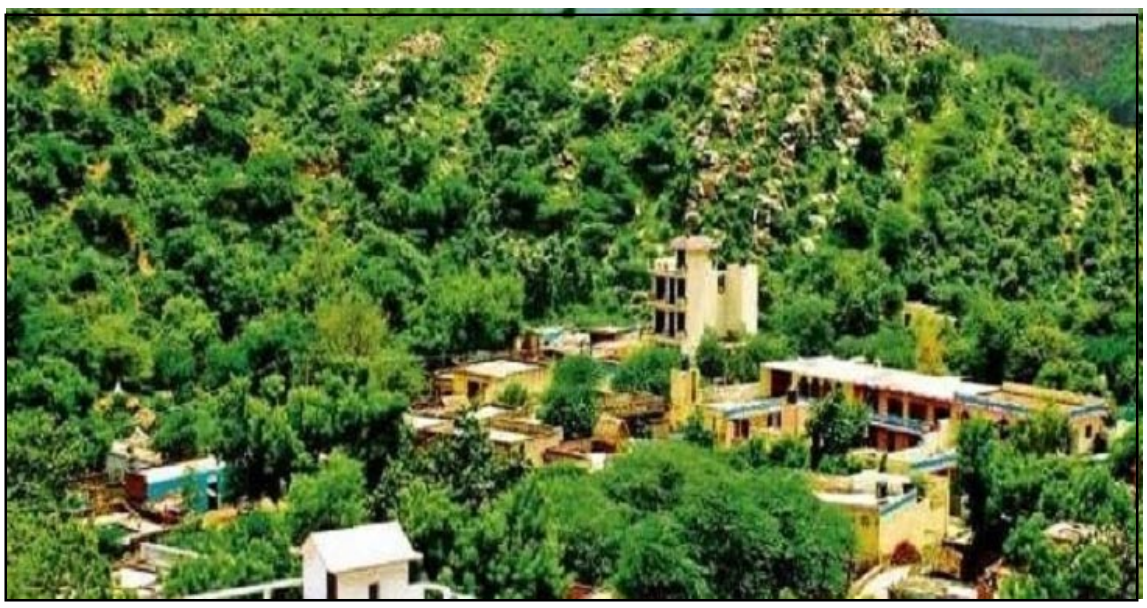

हूडा अधिकारियों ने उसी समय रिपोर्ट बना कर सरकार को भेज दी थी। इसके तहत सेक्टर 21 सी पार्ट थर्ड में करीब 145 एकड़, 44 व 47 में 457 एकड़ और सेक्टर 45 में 14.5 एकड़ यानी कुल छह सौ एकड़ जमीन मुक्त कराने का प्रपोजल बना कर भेज दिया।

यदि ये जमीन मुक्त हो गई तो 21 सी पार्ट थर्ड में 166 प्लॉट व सेक्टर 45 में 110 प्लॉट निकलेंगे। इसी तरह सेक्टर 44 व 47 में करीब पांच सौ प्लॉट निकल सकते हैं। यानी इस बेशकीमती जमीन के प्लॉटों की खरीद फरोख्त में करोड़ों रुपये बन सकते हैं।

खट्टर सरकार ने इस प्रपोजल को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय से अनुमति दिलाने के लिए यह रिपोर्ट तुरंत मोदी सरकार को भेज दी थी। जिला वन अधिकारी राजकुमार के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम की धारा दो के तहत सरकार यदि किसी वन क्षेत्र को मुक्त कराना चाहती है तो मुक्त कराए जाने वाले रकबे का दोगुना रकबा वन विभाग को देना होता है। यानी छह सौ एकड़ के बदले बारह सौ एकड़ जमीन वन विभाग को सौंपनी होगी। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार हूडा के पास जोड़-घटाव और खींचतान करके करीब 290 एकड़ जमीन ही बची हुई है। यह जमीन धौज, अनखीर व अन्य जगहों की मिलाकर हो रही है।

खट्टर का कलेक्शन एजेंट अब हूडा की बची खुची जमीन भी वन विभाग को दिलवा कर भूमाफिया को फायदा पहुंचवाने के लिए तगड़ी पैरवी कर रहा है। सूत्र बताते हैं कि हूडा अधिकारी अपनी बची हुई करीब 290 एकड़ जमीन वन विभाग को सौंप कर सेक्टर 21सी पार्ट थर्ड की 145 एकड़ और सेक्टर 45 की 14.5 एकड़ जमीन संरक्षित वन क्षेत्र से मुक्त किए जाने का प्रपोजल तैयार कर रहे हैं। भू माफिया चुनाव से पहले ही यह काम कराए जाने का दबाव सरकार पर बना रहे हैं इसके लिए कलेक्शन एजेंट के जरिए मोटा चढ़ावा भी चढ़ाया गया है।

लूट कमाई बेहतर होगी : राजनेताओं ने पुराने चोर सतीश पाराशर को पुनः नगर निगम में लगवाया

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)। इस शहर में तैनाती के दौरान लूट कमाई करने के आरोपों में अनेकों आपराधिक मुकदमों में उलझे तत्कालीन सीनियर टाउन प्लानर सतीश पाराशर को चंडीगढ़ मुख्यालय के कोने में बैठा दिया गया था। लेन देन की कला में माहिर पाराशर ने वहां जुगाड़बाजी करके गुड़गांव नगर निगम का चीफ टाउन प्लानर पद हासिल कर लिया। दस्तावेजों में तोड़ मरोड़ कर भू माफिया और प्रॉपर्टी डीलरों का फायदा पहुंचाने की उसकी कला के दीवाने स्थानीय राजनेता उसे दोबारा फरीदाबाद बुलाना चाह रहे थे लेकिन गुड़गांव जैसे बड़े शहर की मलाई काटने की लालच में वह लौटना नहीं चाह रहा था। ऐसे में राजनेताओं ने बेहतर लूट कमाई का रास्ता निकालते हुए उसे नगर निगम फरीदाबाद का अतिरिक्त चार्ज दिलवा दिया। राजनेताओं के इस अहसान का बदला वह

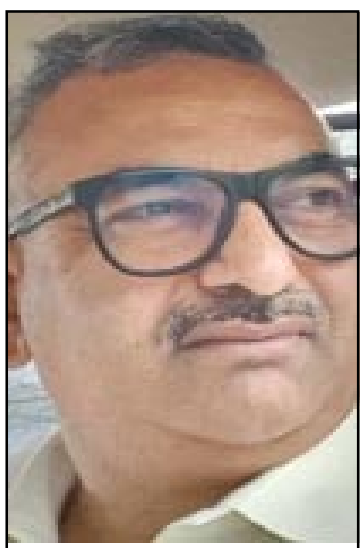

सतीश पाराशर, चीफ टाउन प्लानर

भ्रष्टाचार के अपने हुनर के जरिए उन्हें लाभ पहुंचा कर चुका सकता है।

राजनेता, भूमाफिया, प्रॉपर्टी डीलरों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये के वारे न्यारे करने में माहिर सतीश पाराशर का सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, नियमों को दरकिनार कर सीएलयू, प्लॉट अलॉट करने जैसे भ्रष्टाचार का काफी पुराना इतिहास है।

ओल्ड नगर निगम में संयुक्त आयुक्त पद पर रहने के दौरान वर्ष 2013 में उसने बसेलवा कॉलोनी में डेयरी के लिए हितेंद्र नाम के युवक को अलॉट प्लाट फर्जी जीपीए लगाकर मातहत महिला कर्मचारी सुनीता डागर के नाम ट्रांसफर कर दिया था। इस मामले में ओल्ड थाने में सतीश पराराशर के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

इसी तरह उसने एसटीपी रहते हुए जनवरी 2014 में बिना किसी दस्तावेज के ही हार्डवेयर कंपनी की जमीन के नौ सीएलयू किए थे। जांच में पाया गया था कि सीएलयू के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे रजिस्ट्री की प्रति, प्लॉट का रकबा व चौहद्दी निर्धारण और सबसे प्रमुख सीएलयू के लिए तहसीलदार का अनुमोदन पत्र कुछ भी नहीं लगाया गया था। विजिलेंस जांच में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ अगस्त 2019 में केस दर्ज कराया गया था। इस मामले की जांच जारी है।

अपने कार्यकाल में सतीश पाराशर ने इस तरह के कई अन्य कार्य किए थे लेकिन वह अप्रैल 2018 में एक बार और फंसे थे। तब उन्होंने सूरजकुंड के प्रतिबंधित इलाके के पांच फार्म हाउस मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) यानी सशर्त सहमति पत्र जारी

शेष पेज दो पर